रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 2010/आश्विन 13, 1932

No. 560] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2010/ASVINA 13, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 812(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) (संशोधन), नियम, 2010 है।

(2) ये 12 नवम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) कर्मचारिवृंद नियम के नियम 12 में किसी बात के होते हुए भी, ये नियम उन विकास अधिकारियों के पुनर्नियोजन के लिए लागू होंगे जिनकी सेवाएं भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 के नियम 7 के अधीन समाप्त कर दी गई हैं।

2. नियम 2 में,—

(क) उप-नियम (ख) में, ''1989'' अकों के स्थान पर ''2009'' अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (ग) में, ''नियम 8'' शब्द और अंक के स्थान पर ''नियम 7'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (घ) में, ''नियम 8'' शब्द और अंक के स्थान पर ''नियम 7'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. नियम 3 के उप-नियम (1) में, ''दस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''सात वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

4. नियम 6 में, ''नियम 19'' शब्द और अंकों के स्थान पर ''नियम 15'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-11012/02/2010-बीमा-I]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 12 नवम्बर, 2009 से प्रभावी भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के कारबार के पालन से संबंधित सेवाओं के निबंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित कर दिया है। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) नियम, 1990 को संशोधित कर दिया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण :—मूल नियम, सं. सा.का.नि. 236(अ), तारीख 19 जनवरी, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2010

G.S.R. 812(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2), of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance

Corporation of India (Re-appointment of Terminated Development Officers) Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Reappointment of Terminated Development Officers) (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 12th day of November, 2009.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 12 of the Staff Rules, these rules shall apply for the re-appointment of Development Officers whose services are terminated under rule 7 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009.

2. In rule 2,—

(a) in sub-rule (b), for the figures "1989", the figures "2009" shall be substituted;

(b) in sub-rule (c), for the word and figure "Rule 8", the word and figure "Rule 7" shall be substituted;

(c) in sub-rule (d), for the word and figure "Rule 8", the word and figure "Rule 7" shall be substituted.

3. In rule 3, in sub-rule (1), for the words "ten years", the words "seven years" shall be substituted.

4. In rule 6, for the word and figures "rule 19", the word and figures "rule 15" shall be substituted.

[F. No. S-11012/02/2010-Ins. I]

TARUN BAJAJ, Joint Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has revised the terms and conditions of services relating to business performance of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India with effect from 12th November, 2009. Accordingly, the Life Insurance Corporation of India (Re-appointment of Terminated Development Officers) Rules, 1990 have been amended.

It is certified that no employee of Life Insurance Corporation of India is likely to be adversely affected by the Notification being given retrospective effect.

Note :—The principal rules were published *vide* No. G.S.R. 236(E), dated the 19th January, 1990.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.